न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–101/18–19

शारदा भुईयाँ वगै0 बनाम जीतन भुईयाँ वगै0

आदेश की क्रम एव तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
22.09.22	अंचल अधिकारी, हंटरगंज के पत्रांक–379, दिनांक–29.05.2018 के द्वारा न्यायालय, अंचल अधिकारी, हंटरगंज का विविध वाद संख्या–05/16–17 शारदा भुईयाँ एवं अन्य बनाम जीतन भुईयाँ अन्य से संबंधित मूल अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है। तद्नुसार यह वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्रारंभ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा इस न्यायालय में कोई लिति कथन/कागजात समर्पित नहीं किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि**–.यह कि ग्राम–लेंजवा, थाना–हंटरगंज, जिला–चतरा के खाता संख्या–26, प्लॉट संख्या–11, 14, 39, 41, 48, 51, 65, 119, 190, 192 रकवा–7.14 ए0 जमीन जो खतियान में प्रथम पक्ष के परदादा तिलक भुईयाँ पिता करमन भुईयाँ के नाम से दर्ज है। 6.27 एकड़ शारदा भुईयाँ वगैरह के नाम से रसीद कट रहा है तथा 90 डी0 बिरवा भुईयाँ वगैरह के नाम से कट रहा है, जो अंचल रिपोर्ट में दर्ज है। यह कि खतियानी रैयत के वंशज प्रथम पक्ष के शारदा भुईयाँ वगैरह के दखल–कब्जा है वो सरकारी रसीद कटते चला आ रहा है, सरकारी रसीद 2016 तक निर्गत है। यह कि द्वितीय पक्ष के लोग उक्त खाता, प्लॉट के जमीन पर विवाद पैदा कर कब्जा करने का प्रयास करते रहते है, जबकि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण प्रथम पक्ष के वंशावली में नही आते हैं, जैसा कि अंचल कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी महोदय का आदेश फलक एवं प्रतिवेदन से पता चलता है। यह कि अंचल कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदन में दोनों पक्षों का वंशावली के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। यह कि द्वितीय पक्ष का जमीन से प्रथम पक्ष के सदस्यों को कोई मतलब नही है। यह कि द्वितीय पक्ष के लोग संख्या बल के आधार पर प्रथम पक्ष के जमीन हड़पना चाहते है, एवं खेती में बाधा पहुँचा रहे हैं। द्वितीय पक्ष का जमीन खाता संख्या 70 में	

खतियानी भूमि है। यह कि प्रथम पक्ष का दावा अंचल अधिकारी महोदय का आदेश एवं प्रतिवेदन तथा कर्मचारी रिपोर्ट एवं खतियान के आधार, सरकारी रसीद के अनुसार सही प्रतीत हो रहा है। यह कि अंचल अधिकारी महोदय के आदेश प्रतिवेदन एवं कर्मचारी का स्थल जॉच प्रतिवेदन एवं प्रथम पक्ष के कागजातों के अवलोकन के पश्चात् प्रथम पक्ष के पक्ष में आदेश पारित करने हेतु प्रार्थना करते हैं।

प्रथम पक्ष का वंशावली

स्व0 तिलक भुईयॉ (खतियानी रैयत)

- स्व0 पुनित भईयॉ
  - स्व0 वंशी भुईयॉ
    - श्री हरि भुईयॉ
  - स्व0 मुंशी भुईयॉ (नावल्द मृत)
- स्व0 लिटर भुईयॉ
  - स्व0 सगुन्द्री देवी
- स्व0 बीर भुईयॉ
  - स्व0 छेदी भुईयॉ
    - श्री कृष्णा भुईयॉ
    - श्री बुटा भुईयॉ
    - श्री गोरा भुईयॉ
  - स्व0 भेदी भुईयॉ
    - शारदा भुईयॉ

द्वितीय पक्ष का वंशावली

शनिचर भुईयॉ, पिता–स्व0 शिवा भुईयॉ

- जानकी भुईयॉ
  - अंधु भुईयॉ
  - गणेशी भुईयॉ
  - महेशी भुईयॉ
  - रमेशी भुईयॉ
- विदेशी भुईयॉ
  - जितन भुईयॉ
  - डोमन भुईयॉ
  - शिबु भुईयॉ
- मानकी भुईयॉ
  - अर्जुन भुईयॉ
  - रामचन्द्र भुईयॉ
  - बलिराम भुईयॉ
  - हरिहर भुईयॉ
  - बेनी भुईयॉ
- गुंगेश्र भुईयॉ
  - सारयु भुईयॉ
  - बरन भुईयॉ
  - बृहस्पति भुईयॉ

अंचल अधिकारी, इंटरगंज अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया है कि "आवेदक श्री शारदा भुईयॉ, पिता–स्व0 मेदी भुईयॉ साकिन मौजा लेंजवा ने आवेदन पत्र के द्वार सूचित किया है कि साकिन मौजा लेंजवा अंतर्गत खाता संख्या–26, प्लॉट संख्या–11, 14, 39, 41, 48, 51, 65, 119, 190, 192 रकवा क्रमशः 1.33, 1.75, 0.39, 1.09, 0.61, 0.38, 0.65, 0.03, 0.25, 0.59 कुल रकवा–7.14 ए0 भूमि उनके परदादा स्व0 तिलक भुईयॉ के नाम से सर्वे खतियान दर्ज है तथा लगान रसीद आवेदक शारदा भुईयॉ के नाम से निर्गत हो रहा है। प्रश्नगत भूमि को उक्त गॉव के जीतन भुईयॉ, पिता–स्व0 विदेशी भुईयॉ वगै0 द्वारा बलपूर्वक कब्जा किया गया है। आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में संबंधित रा0 कर्म0 एवं अं0 नि0 से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई है। रा0 कर्म0 एवं प्र0 अं0 नि0 द्वारा जॉचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि साकिन मौजा–लेंजवा, थाना नं0–01 अंतर्गत खाता संख्या–26 खेसरा संख्या–11, 14, 39, 41, 48, 51, 65, 119, 190, 192 रकवा क्रमशः 1.33, 1.75, 0.39, 1.09, 0.61, 0.38, 0.65, 0.03, 0.25, 0.59 कुल रकवा–7.14 ए0 भूमि स्व0 तिलक भुईयॉ पिता–करमन भुईयॉ के नाम से सर्वे खतियान दर्ज है, तथा रा0 पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–10/5 पर श्री शारदा भुईयॉ, पिता–मेदी भुईयॉ के नाम से वर्ष 2015–16 तक लगान रसीद निर्गत है। पुनः प्रश्नगत भूमि का रा0 पंजी–2 की पृष्ठ संख्या–89/3 पर खाता संख्या–26 कुल रकवा–11.40 ए0 भूमि का गणेशी भुईयॉ वगै0, पिता–जानकी भुईयॉ वगै0 के नाम से वर्ष 2015–16 तक लगान रसीद निर्गत है। उल्लेखनीय है कि स्थल जॉच के क्रम में पाया गया कि खाता संख्या–26 खेसरा संख्या–14, 11, 48, 51, 41, 65 एवं 39 की भूमि पर श्री जीतन भुईयॉ, डोमन भुईयॉ, अर्जुन भुईयॉ, पिता–मानकी भुईयॉ साकिन मौजा–लेंजवा का दखल कब्जा है, तथा शेष खेसरा संख्या–190, 192 एवं 189 पर आवेदक शारदा भुईयॉ वगै0, पिता–स्व0 मेदी भुईयॉ का दखल कब्जा है। उक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यालय प्रोसेस सं0 05 दिनांक–09.09.2016 से उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित मूल कागजात के साथ अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। उक्त आलोक में उभय पक्षों द्वारा भूमि संबंधी कागजात प्रस्तुत किया गया साथ ही द्वितीय पक्ष श्री डोमन भुईयॉ के द्वारा आवेदन पत्र के साथ रा0 रसीद प्रस्तुत किया गया जो अभिलेख में संलग्न है। राजस्व रसीद गणेशी भुईयॉ वगै0, पिता–जानकी भुईयॉ वगै0 के नाम खाता संख्या–26 रकवा–11.40 ए0 निर्गत

3 Misc

है। आवेदन पत्र से कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि उनके बड़े भाई गणेशी भुईयाँ वगै0 के नाम से सरकारी रसीद वर्ष 2015–16 तक निर्गत है तथा उक्त भूमि पर हमलोगों का दखल कब्जा है, परंतु उसी गाँव के हरि भुईयाँ, पिता–स्व0 वंशी भुईयाँ बाजबरन हड़पना चाहते है। आवेदक शारदा भुईयाँ (प्रथम पक्ष) की ओर से सर्वे खतियान तिलक भुईयाँ, पिता–करमन भुईयाँ साकिन देह दर्ज है। जिसमें खाता संख्या–26 खेसरा संख्या– संख्या–11, 14, 39, 41, 48, 51, 65, 119, 190, 192 रकवा क्रमशः 1.33, 1.75, 0.39, 1.09, 0.61, 0.38, 0.65, 0.03, 0.25, 0.59 कुल रकवा–7.14 ए0 है। प्रस्तुत रा0 रसीद शारदा भुईयाँ, पिता–स्व0 मोदी भुईयाँ, कृष्णा भुईयाँ के नाम से खाता संख्या–26 खेसरा संख्या–11, 12, 51, 65 वगै0 रकवा–6.27 ए0 निर्गत है। प्रस्तुत वंशावली को अवलोकन किया गया, स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष अलग–अलग वंशज के है। उल्लेखनीय है कि प्रथम पक्ष द्वारा अपने आवेदन पत्र से प्रश्नगत खाता प्लॉट की भूमि में कुल रकवा–7.14 ए0 का दावा किया गया है, परंतु निर्गत (प्रस्तुत) लगान रसीद में कुल रकवा 6.27 ए0 है द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रा0 रसीद (लगान रसीद) में खाता संख्या–26 कुल रकवा–11.40 ए0 है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि खाता संख्या 26 अंतर्गत किस खेसरा में कितना रकवा द्वितीय पक्ष का है। यह मामला हक एवं अधिकार से संबंधित है।''

उपरोक्त संबंधित पक्ष के द्वारा समर्पित लिखित कथन, समर्पित कागजात, अंचल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. खतियानी रैयती भूमि का मामला।
2. दोनों पक्षों का जमाबंदी कायम होना।
3. प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत का वंशज होने का दावा।
4. दखल कब्जा का विवाद।
5. खतियान में अंकित सर्वे रकवा से अधिक रकवा का लगान रसीद का निर्गत होना।

1. <u>खतियानी रैयती भूमि का मामला</u> – अचंल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त अभिलेख के आदेश में अंकित है कि–''रा0 कर्म0 एवं प्र0 अं0 नि0 द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि साकिन मौजा–लेंजवा, थाना नं0–01 अंतर्गत खाता संख्या–26 खेसरा संख्या–11, 14, 39, 41, 48, 51, 65, 119, 190, 192 रकवा क्रमशः 1.33, 1.75, 0.39, 1.09, 0.61, 0.38, 0.65, 0.03, 0.25, 0.59 कुल रकवा–7.14 ए0 भूमि स्व0

तिलक भुईयॉ पिता–करमन भुईयॉ के नाम से सर्वे खतियान दर्ज है।''

2. <u>दोनों पक्षों का जमाबंदी कायम होना</u> :– अचंल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त अभिलेख के आदेश में अंकित है कि–'' रा0 कर्म0 एवं प्र0 अं0 नि0 द्वारा जॉचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि साकिन मौजा–लेंजवा, थाना नं0–01 अंतर्गत खाता संख्या–26 खेसरा संख्या–11, 14, 39, 41, 48, 51, 65, 119, 190, 192 रकवा क्रमशः 1.33, 1.75, 0.39, 1. 09, 0.61, 0.38, 0.65, 0.03, 0.25, 0.59 कुल रकवा–7.14 ए0 भूमि स्व0 तिलक भुईयॉ पिता–करमन भुईयॉ के नाम से सर्वे खतियान दर्ज है, तथा रा0 **पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–10/5 पर श्री शारदा भुईयॉ, पिता–मेदी भुईयॉ (प्रथम पक्ष)** के नाम से वर्ष 2015–16 तक लगान रसीद निर्गत है। पुनः प्रश्नगत भूमि का **रा0 पंजी–2 की पृष्ठ संख्या–89/3 पर खाता संख्या–26 कुल रकवा–11.40 ए0 भूमि का गणेशी भुईयॉ वगै0, पिता–जानकी भुईयॉ वगै0 (द्वितीय पक्ष)** के नाम से वर्ष 2015–16 तक लगान रसीद निर्गत है।

3. <u>प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत का वंशज होने का दावा</u> :– प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि– यह कि ग्राम–लेंजवा, थाना–हंटरगंज, जिला–चतरा के खाता संख्या–26, प्लॉट संख्या–11, 14, 39, 41, 48, 51, 65, 119, 190, 192 रकवा–7.14 ए0 जमीन जो खतियान में प्रथम पक्ष के परदादा तिलक भुईयॉ पिता करमन भुईयॉ के नाम से दर्ज है। 6.27 एकड़ शारदा भुईयॉ वगैरह के नाम से रसीद कट रहा है तथा 90 डी0 बिरवा भुईयॉ वगैरह के नाम से कट रहा है, जो अंचल रिपोर्ट में दर्ज है। **यह कि खतियानी रैयत के वंशज प्रथम पक्ष के शारदा भुईयॉ वगैरह के दखल–कब्जा है वो सरकारी रसीद कटते चला आ रहा है, सरकारी रसीद 2016 तक निर्गत है।** यह कि द्वितीय पक्ष के लोग उक्त खाता, प्लॉट के जमीन पर विवाद पैदा कर कब्जा करने का प्रयास करते रहते है, जबकि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण प्रथम पक्ष के वंशावली में नही आते हैं,

4. <u>दखल कब्जा का विवाद</u> :– अचंल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त अभिलेख के आदेश में अंकित है कि–'' उल्लेखनीय है कि स्थल जॉच के क्रम में पाया गया कि खाता संख्या–26 खेसरा संख्या–14, 11, 48, 51, 41, 65 एवं 39 की भूमि पर श्री जीतन भुईयॉ, डोमन भुईयॉ, अर्जुन भुईयॉ, पिता–मानकी भुईयॉ (इस वाद में द्वितीय पक्ष) साकिन मौजा–लेंजवा का दखल कब्जा है, तथा शेष खेसरा सख्या–190, 192 एवं 189 पर आवेदक शारदा भुईयॉ वगै0, पिता–स्व0 मेदी भुईयॉ (इस वाद में प्रथम पक्ष) का दखल कब्जा है। यह भी अंकित किया गया है कि–प्रथम पक्ष द्वारा

अपने आवेदन पत्र से प्रश्नगत खाता प्लॉट की भूमि में कुल रकवा–7.14 ए0 का दावा किया गया है, परंतु निर्गत (प्रस्तुत) लगान रसीद में कुल रकवा 6.27 ए0 है द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रा0 रसीद (लगान रसीद) में खाता संख्या–26 कुल रकवा–11.40 ए0 है।''

5. **खतियान में अंकित सर्वे रकवा से अधिक रकवा का लगान रसीद का निर्गत होना :–प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–**.यह कि ग्राम–लेंजवा, थाना–हंटरगंज, जिला–चतरा के खाता संख्या–26, प्लॉट संख्या–11, 14, 39, 41, 48, 51, 65, 119, 190, 192 रकवा–7.14 ए0 जमीन जो खतियान में प्रथम पक्ष के परदादा तिलक भुईयॉ पिता करमन भुईयॉ के नाम से दर्ज है। 6.27 एकड़ शारदा भुईयॉ वगैरह के नाम से रसीद कट रहा है तथा 90 डी0 बिरवा भुईयॉ वगैरह के नाम से कट रहा है।'' (6.27+90डी0= 7.17 ए0) **अचंल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त अभिलेख के आदेश में अंकित है कि–**'' प्रश्नगत भूमि का रा0 पंजी–2 की पृष्ठ संख्या–89/3 पर खाता संख्या–26 कुल रकवा–11.40 ए0 भूमि का गणेशी भुईयॉ वगै0, पिता–जानकी भुईयॉ वगै0 (द्वितीय पक्ष) के नाम से वर्ष 2015–16 तक लगान रसीद निर्गत है।''

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपल्बध कागजातों के आधार पर संबंधित जमीन में स्वामित्व एवं दखल कब्जा का मामला परिलक्षित होता है। खतियान के मुताबिक जमीन का किस्म रैयती है। इस न्यायालय से कोई निर्णयल लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस मामलें में Competent civil court/ सक्षम न्यायालय ही निर्णय ले सकता है। संबंधित पक्ष Competent civil court/ सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते है।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, हंटरगंज को भेजें।

वाद की प्रकिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

ह0/– 22/09/22 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

ह0/– 22/09/22 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.03 09:06:18 -07:00
Location: 2409:40e4:1056:4265:8caa:c00f:a89d:a4b9